न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर ~~केम्प सागर~~ संभाग सागर

1— राकेश तनय मकुंदी यादव , 2— संतराम तनय जंगी यादव ,

3— सुमन पत्नि राकेश यादव , 4— उपेन्द्र तनय रघुवीर यादव ,

5— जसोदा पत्नि संतराम यादव , 6— रति पत्नि रामेश्वर यादव ,

7—मुन्ना पत्नि गोरेलाल यादव 8—संतराम सोनी पिता जंगी यादव,

सभी निबासी—ग्राम गोटेट खास, तह0 लिधौरा, जिला टीकमगढ़,

.............आवेदकगण

वनाम

1— म0 प्र0 शासन द्वारा अपर कलेक्टर टीकमगढ़,

2— दंगलसिंह तनय रतिराम यादव ,

निबासी ग्राम फतेह का खिरक, तह0 लिधौरा, जिला टीकमगढ़

.... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 14/स्व0 निगरानी/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 02/06/2016 से परिवेदित होकर कर रहा है, जो समय सीमा में है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, रिस्पॉ0 क्रमांक 02 तथा अन्य के द्वारा एक आवेदनपत्र जनसुनवाई में कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि, ग्राम गोटेट, तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़, स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 808/4, 808/3, 805/4, 805/2, 804/2 पर ग्राम फतेह का खिरक के दबंग लोगों द्वारा राजस्व कर्मचारियों से सांठगांठ करके फर्जी भूमि स्वामी का इंद्राज अभिलेख में कराया गया है तथा बैंकों से ऋण प्राप्त कर लिया है। उपरोक्त भूमि गौचर भूमि है। अतः जांच कर भूमि शासन के नाम दर्ज की जाबे तथा अनावेदकगण

राजेन्द्र पटैरिया (एड.)
बार रूम क. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि०- 142, रजाखेड़ा कॉलोनी, सागर
मो.- 9425451902

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2562 / I / 2016 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **राकेश यादव व अन्य वनाम म0 प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-12-2016	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदकगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटैरिया द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 14 / स्व0 निगरानी / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 02 / 06 / 2016 से दुखित होकर प्रस्तुत की है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के ग्राहयता पर तर्क श्रवण किये गये। निगरानी के साथ संलग्न सूची अनुसार दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक के बिद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में उन्हीं आधारों को दुहराया है, जो निगरानी आवेदनपत्र में लेख किये गये हैं। 2– प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि, रिस्पॉडेंट कमांक 02 तथा अन्य के द्वारा एक आवेदनपत्र जनसुनवाई में कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया कि, ग्राम गोटेट, तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़, स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 808 / 4, 808 / 3, 805 / 4, 805 / 2, 804 / 2 पर ग्राम फतेह का खिरक के लोगों द्वारा राजस्व कर्मचारियों से सांठगांठ करके फर्जी भूमि स्वामी का इंद्राज अभिलेख में कराकर बैंकों से ऋण प्राप्त कर लिया है। जिसके आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर तहसीलदार से जांच प्रतिवेदन तलब किया गया। जिसमें आवेदकगण के बिरूद्व तहसीलदार लिधौरा द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 02 / 06 / 2016 को प्रश्नाधीन आदेश पारित करते हुये वादभूमि खसरा में म0 प्र0 शासन अंकित करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है। 3– आवेदक द्वारा निगरानी के साथ प्रमुख रूप से जो दस्तावेज सूचीबद्व करके प्रस्तुत किये गय हैं, उनमें ग्राम गोटेट खास स्थित भूमि खसरा नंबर 805जु रकवा 4.00 हैक्टेयर बंजर , 806 जु0 रकवा 4.00 हैक्टेयर बंजर, 808 जु0 रकवा 6.00 हैक्टेयर बंजर, जो	

तीनों नबर म0 प्र0 सरकार के नाम पर दर्ज हैं, के खसरा पांचसाला बर्ष 1984–85 से 1988–89 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। जिसमें उपरोक्त तीनों खसरा नंबर की भूमि के कॉलम नंबर 13 में पंजी कमांक 16 द्वारा गौचर से बंजर दर्ज किया जाना लाल–स्याही से लेख है। इसके अलावा आवेदकगण द्वारा प्र0क0 27/अ–19ब/1999–2000 में पारित आदेश दिनांक 15/08/2000 के माध्यम से आवेदक कमांक एक राकेश तनय मकुंदी यादव को खसरा कमांक 805जु/1 में रकवा 2.00 हैक्टेयर का पटटा प्रदान करने , प्र0क0 27/अ–19ब/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 10/07/2001 के माध्यम से आवेदक कमांक दो संतराम तनय जंगी यादव को खसरा कमांक 808जु0/1 में रकवा 2.00 हैक्टेयर का पटटा प्रदान करने, प्र0क0 25/अ–19ब/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 15/08/2000 के माध्यम से आवेदक कमांक तीन सुमन पत्नि राकेश कुमार को खसरा कमांक 807जु/1 में रकवा 2.00 हैक्टेयर का पटटा प्रदान करने, प्र0क0 14/अ–19ब/1997–98 में पारित आदेश दिनांक 10/07/2000 के माध्यम से आवेदक कमांक चार उपेन्द्र तनय रघुवीर सिंह को खसरा कमांक 808जु/1 में रकवा 2.00 हैक्टेयर का पटटा प्रदान करने, प्र0क0 28/अ–19ब/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 10/07/2000 के माध्यम से आवेदक कमांक पांच जसोदा पत्नि संतराम यादव को खसरा कमांक 807जु/1 में रकवा 2.00 हैक्टेयर का पटटा प्रदान करने, प्र0क0 29/अ–19ब/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 15/08/2000 के माध्यम से आवेदक कमांक छह रत्तीबाई तनय रामेश्वर यादव को खसरा कमांक 808जु/1 में रकवा 2.00 हैक्टेयर का पटटा प्रदान करने, प्र0क0 24/अ–19ब/1997–1998 में पारित आदेश दिनांक 12/08/2000 के माध्यम से आवेदक कमांक सात श्रीमति मुन्ना पत्नि गोरेलाल यादव खसरा कमांक 805जु/1 में रकवा 2.00 हैक्टेयर का पटटा प्रदान करने , इसी प्रकार आवेदक कमांक आठ संतराम सोनी तनय जंगी यादव को प्र0 क0 21/अ–19ब/86–87 के माध्यम से पारित आदेश दिनांक 20/07/1987 के द्वारा खसरा नंबर 806 रकवा 1.000 हैक्टैयर का पटटा प्रदान करने तथा उसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी जतारा के न्यायालय में प्र0क0 774/निगरानी/87–88 दर्ज किया गया था, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया था। की प्रमाणित प्रतिलिपियों की छाया प्रतियां प्रस्तुत कीं गई हैं। प्रमाणित प्रतिलिपियां भी प्रस्तुत कीं, जिनका अवलोकन करने के बाद बापिस कीं गई। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उपरोक्त पटटों का विधिवत इंद्राज राजस्व रिकॉर्ड में इत्तलायबी पंजी के आधार पर हुआ था। जिसकी असल प्रति तहसील कार्यालय जतारा में उपलग्ध है। जिसके आधार पर

आवेदकगण द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की है। जिसकी छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। यह भी बताया कि जिन प्रकरणों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत कीं गई हैं, उन सभी पटटा बंटन के प्रकरण भी रिकॉर्ड रूम टीकमगढ़ में जमा हैं। जिनकी आवेदकगण द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करके प्रस्तुत की गई हैं। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि यदि उपरोक्त प्रकरण कमांक दायरा रजिस्टर में दर्ज न किये गये हों तो उसके लिये आवेदकगण जबाबदार नहीं हैं। यह कार्य न्यायालय के रीडर का है जो कि अपने कर्तब्य के प्रति लापरवाह होने के कारण जबाबदेह है, ना कि आवेदकगण। आवेदकगण को विधिवत रूप से तहसीलदार जतारा द्वारा प्रकरण कमांक डालकर, विधिवत प्रकिया अपनाकर पटटा जारी किये गये, तथा उन्हीं प्रकरण कमांक के आधार पर इत्त्लायवी पंजी के माध्यम से राजस्व अभिलेख में भी अमल हो गया। मात्र दायरा में दर्ज न होने से आवेदक दंड के भागी नहीं हैं, क्योंकि असल बंटन प्रकरण रिकॉर्ड रूम में जमा हैं। आवेदकगण बर्तमान में वाद भूमि पर काबिज हैं।

4— आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तर्कों के आधार पर मेरे मतानुसार आवेदकगण को विधिवत प्रकिया अपनाकर पटटा तहसीलदार जतारा द्वारा उपरोक्त प्रकरण कमांकों के आधार पर प्रदान किये गये हैं, जिनका रिकॉर्ड में अमल भी विधिवत रूप से इत्तलायबी पंजी में पारित आदेशों के माध्यम से किया गया है, जिसकी भी प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति संलग्न है। उपरोक्त प्रकरण में जो पटवारी हल्का द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें भी उपरोक्त पटटा विधि विरूद्व प्रदान किये जाने संबंधी लेख नहीं है, तहसीलदार लिधौरा द्वारा जो प्रतिवेदन तैयार किया गया है, उसमें आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं दस्तावेजों को क्यों अमान्य किया, स्पष्ट नहीं किया गया। तहसीलदार से बरिष्ठ न्यायालय द्वारा मात्र प्रतिवेदन चाहा गया था, जबकि उनके द्वारा अतिश्योक्ति पूर्ण कार्यवाही करके कंप्यूटर में भूमि संब्यवहार से प्रतिबंधित लेख कर दीं। जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार का प्रतिवेदन अतिश्योक्ति पूर्ण है, जिसके ही आधार पर आदेश पारित किया गया है। यदि आवेदकगण को प्रदाय पटटा जिनका रिकॉर्ड जिला के रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित है, विधिवत बंटन नहीं किया गया होता तो वह रिकॉर्ड रूम में जमा कैसे हो जाता, इत्तलायबी पंजी पर रिकॉर्ड में अमल करने का आदेश कैसे हो जाता, बिचारणीय प्रश्न है। यदि बंटन प्रकरण को दायरा रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था, तो तत्कालीन रीडर से उसके संबंध में स्पष्टीकरण लेना था, जो नहीं लिया गया है। प्रकरण का दायरा में पंजीयन करना न्यायालय के रीडर का कार्य है ना कि हितबद्व ब्यक्ति का। जिसके संबंध में की गई त्रुटि के लिये

आवेदकगण को जिम्मेबार मानकर दण्डित नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में विधि व प्रकिया के बिपरीत मात्र तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है, आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया गया। उन्हें क्यों अमान्य किया गया, आदेश में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जिस कारण से प्रश्नाधीन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक दिनांक 02/06/2016 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार लिधौरा को आदेशित किया जाता है, कि प्रकरण की वाद भूमि पर पूर्ववत आवेदकगण के नाम राजस्व अभिलेख/कंप्यूटर में दर्ज किये जावें। यह आदेश मात्र आवेदकगण एवं उनके द्वारा धारित भूमि पर ही लागू होगा, अन्य पर नहीं। प्रकरण का परिणाम दर्ज करके दा0 द0 हो।

सदस्य